जबरन बेदखली की स्थिति में आपके लिए कौन से समाधान उपलब्ध हैं?

अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार बेदखली के अधीन आये सभी लोगों को यथासमय एवं यथोचित सुविधाएं समाधान पाने का अधिकार है, जैसे कानूनी सलाहकार तक पहुंच, मुफ्त कानूनी सहायता, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के उपरोक्त दिशा-निर्देश 'समाधान के अधिकार को भी संरक्षित करते हैं। इसमें निम्न बातें शामिल हैं:-

1. उचित व त्वरित मुआवजा

यह निम्न सिथतियों के लिए मुहैया करायी जाती है-

- कोई भी ऐसी क्षति जैसे जीवन की हानि, शारीरिक या मानसिक क्षति, रोजगार व शिक्षा के अवसर खोलना एवं सामान आदि की क्षति (जो आर्थिक निर्धारण के योग्य हो) होने पर।

- भूमि की गुणवत्ता, आकार और मुआवजा मूल्य के रूप में अनुरूप भूमि के साथ भूमि की जब्ती होने पर।

- सभी लोगों के सामान की टूट-फूट व संपत्ति के नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति दी जाए, चाहे वे इसकी पात्रता रखते हों अथवा नहीं।

- महिला और पुरुष दोनों के समान रूप से मुआवजा राशि में सह-लाभार्थी होने की सिथति में।

- बेदखली के दौरान अथवा बेदखली के बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन के फलस्वरूप सभी तरह के नुकसान एवं टूटपफूट होने पर।

2. मुआवजा एवं बहाली

- यदि सिथतियां बनती हैं तो सरकार को चाहिए कि उन व्यकितयों, वर्गों, समुदायों को पुनर्बहाली में प्राथमिकता दी जाए जिन्हें जबरन बेदखल कर दिया गया था।

- यदि समुदाय एवं परिवार पुनर्बहाली नहीं चाहते हैं तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें विवश न किया जाए।

- यदि बहाली संभव हो तो सरकार सिथतियां तय करेगी तथा व्यकितयाेंं व समुदायों के लिए सुरक्षा व सम्मान के साथ वापसी के लिए संसाधन उपलब्ध करायेगी।

- अपने मूल आवास स्थलों पर वापसी करने वाले उन सभी लोगों के एकीकरण के लिए सरकारी संस्थाएं सुविधाएं मुहैया करायेंगी तथा वापसी प्रक्रिया की व्यवस्था एवं योजनाएं बनाने में सभी लोगों की सहभागिता सुनिशिचत करेंगी।

- बेदखली के कारण जिन लोगों की संपत्ति व सामान छूट गया हो अथवा खो गया हो उसको ढूंढने अथवा खोजने में सक्षम सरकारी संस्थाआेंं को सहायता करनी चाहिए। यदि यह संभव न हो तो मुआवजा व अन्य मदद उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

3. पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन

- पुनस्र्थापन के अंतर्गत महिलाओं, उपेक्षित लोगों एवं असहाय समूहों के लिए समान मानवाधिकारों के उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम शामिल किये जाने चाहिए।

- पुनर्वास स्थल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत 'उपयुक्त आवास के मानक को पूरा करे।

- नये आवास जहां तक संभव हो प्रभावितों के मूल निवास तथा उनकी आजीविका के साèानों के आसपास स्थापित होने चाहिए।

- पुनर्वास स्थल पर्यावरणीय रूप से प्रतिबंधित क्षेत्रों, दूषित भूमि और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्थानों के नजदीक स्थापित न हाेंं।

- पुनर्वास प्रक्रिया न्यायसंगत एवं एक समान होनी चाहिए तथा पुनर्वास स्थल एक उपेक्षित क्षेत्र व वीरान बस्ती के रूप में आकार न ले।

- बेदखल की गयी आबादी के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो तथा पुनर्वास के कारण नये स्थल में रह रही आबादी के लिए जीने की सिथतियाेंं पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।